Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 137–2022/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, AUGUST 1, 2022 (SRAVANA 10, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग

आदेश

दिनांक 1 अगस्त, 2022

संख्या एफ0जी0–1–2022/13137.– भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, आदेश संख्या सा0 का नि0 630(ई), दिनांक 31 अगस्त, 2001 के साथ पठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के पैरा 5 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10), की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के दृष्टिगत, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, आवश्यक वस्तुओं के विक्रय तथा वितरण को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित आदेश बनाते है, अर्थात्:–

1. (1) यह आदेश हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अनुज्ञप्ति तथा नियंत्रण) आदेश, 2022, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में है।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2. (1) इस आदेश में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,– परिभाषाएं।

(क) "आधार कार्ड" से अभिप्राय है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी की गई विशिष्ट पहचान संख्या;

(ख) "गरीबी रेखा से ऊपर के कुटुम्ब" से अभिप्राय है, कुटुम्ब, जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं तथा जो केन्द्रीय या राज्य सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किसी भी लाभार्थी सूची में शामिल नहीं है;

(ग) "अधिनियम" से अभिप्राय है, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10);

(घ) "अपर मुख्य सचिव" से अभिप्राय है, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग;

(ङ) "आबंटन मास" से अभिप्राय है, ऐसा मास, जिसके लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा खाद्यान्न आबंटित किए गए हैं ;

(च) "अन्त्योदय अन्न योजना" से अभिप्राय है, केन्द्रीय सरकार द्वारा दिसम्बर, 2000 के 25वें दिन को उक्त नाम से प्रारंभ की गई और समय–समय पर यथा संशोधित योजना ;

(छ) "अन्त्योदय कुटुम्ब" से अभिप्राय है, गरीबी रेखा से नीचे के वे निर्धनतम कुटुम्ब, जिनकी पहचान नागरिक संसाधन सूचना विभाग, हरियाणा या इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अन्य विभाग द्वारा की गई है और जो अन्त्योदय अन्न योजना के अधीन सूचीबद्ध आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए हकदार हैं ;

(ज) "अपील प्राधिकारी" से अभिप्राय है, इस आदेश के अधीन अपील प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई प्राधिकारी;

(झ) "प्राधिकारी" से अभिप्राय है, कोई अधिकारी, जो उप–निरीक्षक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा की पदवी से नीचे का न हो;

(ञ) "गरीबी रेखा से नीचे के कुटुम्ब" से अभिप्राय है, वे कुटुम्ब, जिनकी ग्रामीण विकास विभाग या शहरी स्थानीय निकाय विभाग अथवा राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अन्य विभाग द्वारा इस प्रकार पहचान की गई है ;

(ट) "बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण" से अभिप्राय है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा यथा अभिलिखित किसी व्यक्ति की बायोमीट्रिक विशेषता के साधनों द्वारा उसकी पहचान को प्रमाणित करना;

(ठ) "वस्तु" से अभिप्राय है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम 20) के अधीन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लाभार्थी (राशन कार्ड धारकों/परिवार पहचान पत्र धारकों–पी0पी0पी0) में वितरण के लिए राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा आबंटित वस्तु;

(ड) "संविदाकार" से अभिप्राय है, उचित मूल्य की दुकान की देहली पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वस्तुओं को उठाने तथा आपूर्ति करने के लिए थोक नामनिर्देशिती या विभाग या व्यवहारी द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति या विधिक व्यक्ति या फर्म या कम्पनी;

(ढ) "व्यवहारी" से अभिप्राय है, राज्य सरकार अथवा उसकी ओर से किसी प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति या विधिक व्यक्ति या फर्म या कम्पनी या कोई निकाय, जो उचित मूल्य की दुकान के स्वामियों के लिए किसी भी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली वस्तु को प्राप्त करता है, भण्डारण करता है और वितरण करता है;

(ण) "विभाग" से अभिप्राय है, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा ;

(त) "निदेशक" से अभिप्राय है, निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा;

(थ) "जिला शिकायत निवारण अधिकारी" से अभिप्राय है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 20) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अथवा पदाभिहित कोई अधिकारी ;

(द) "उचित मूल्य की दुकान के लिए पात्र आवेदक" से अभिप्राय है, 10+2 या इसके समकक्ष योग्यता रखने वाला, परिवार पहचान पत्र रखने वाला तथा कम्प्यूटर का मूल ज्ञान रखने वाला, जो इक्कीस वर्ष से कम अथवा पैंतालीस वर्ष से अधिक की आयु का न हो, सन्तोषजनक आर्थिक पृष्ठभूमि वाला कोई व्यक्ति तथा जो उस परिक्षेत्र का निवासी हो, जिसके लिए उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करता है। आवेदक ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच या पंच तथा नगरपालिका समिति, नगर परिषद या नगर निगम के उम्मीदवार का निकट पारिवारिक सदस्य अर्थात पति–पत्नी, पुत्र, पुत्री या निकट सम्बन्धी (माता–पिता, भाई–बहन/उनके बच्चें तथा साला–साली) नही होगा। गांव का कोई सरपंच या पंच, नगरपालिका समिति, नगर परिषद् अथवा नगर निगम का सदस्य, उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति के लिए पात्र नहीं होगा। किसी उचित मूल्य की दुकान का स्वामी यदि बाद में किसी गांव का सरपंच या पंच, नगरपालिका

समिति, नगर परिषद् या नगर निगम के किसी सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाता है, तो उसकी अनुज्ञप्ति भी रद्द समझी जाएगी। आवेदक, राज्य या केन्द्रीय सरकार का स्थाई या संविदात्मक कर्मचारी नहीं होगा। किसी उचित मूल्य की दुकान का स्वामी यदि बाद में राज्य या केन्द्रीय सरकार का स्थाई या संविदात्मक कर्मचारी बन जाता है, तो उसकी अनुज्ञप्ति रद्द समझी जाएगी।

(ध) "ई.पी.डी.एस." से अभिप्राय है, इलैक्ट्रोनिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली;

(न) "उचित मूल्य की दुकान" से अभिप्राय है, ऐसी दुकान, जिसे इस आदेश के अधीन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लाभार्थियों या राशन कार्ड/परिवार पहचान पत्र धारकों को वस्तुओं का वितरण करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है। उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति कम से कम 300 राशन कार्डों/परिवार पहचान पत्र के लाभार्थियों के लिए प्रदान की जाएगी, किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रयोजन के लिए एक गांव को एक इकाई के रूप में समझा जाएगा तथा उचित मूल्य की दुकान के लिए ऐसी अनुज्ञप्ति गांव के 300 राशन कार्ड/परिवार पहचान पत्र से कम के लिए भी जारी की जा सकती है;

(प) "उचित मूल्य की दुकान का स्वामी" से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जिसके नाम से दुकान को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वस्तुओं के वितरण के लिए अनुज्ञप्त किया गया है, तथा इसमें सहकारी सोसाइटी या कोई अन्य निकाय जो केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन, प्रबन्धित या नियन्त्रित नही है, शामिल है;

(फ) "फीसट" से अभिप्राय है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए लक्षित खाद्य तथा आवश्यक वस्तु आश्वासन तथा सुरक्षा जो कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतू सम्पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला चक्र के लिए ऑनलाईन आवेदन करता है;

(ब) "खाद्य सुरक्षा अधिनियम" से अभिप्राय है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 20);

(भ) "अन्तरराज्यिक सुवाह्यता" से अभिप्राय है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों में किसी उचित मूल्य की दुकान से लाभार्थियों को अपना राशन प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाने के लिए उपलब्ध करवाई गई कोई सुविधा;

(म) "अनुज्ञापन प्राधिकारी" से अभिप्राय है, सम्बन्धित जिले का जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक और राज्य स्तर पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन के लिए कॉन्फैड या किसी अन्य एजेंसी के लिए निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग होगा ;

(य) "विक्रय यन्त्र बिन्दु (पी.ओ.एस.)" से अभिप्राय है, उचित मूल्य की दुकान में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के वितरण के दौरान संव्यवहार के लिए प्रयुक्त कोई इलैक्ट्रॉनिक यंत्र;

(यक) "कारोबार स्थल" से अभिप्राय है, ऐसा स्थल, जहां कोई व्यवहारी या उचित मूल्य की दुकान का स्वामी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 20) के अधीन किन्हीं वस्तुओं का भण्डारण, विक्रय या वितरण करता है;

(यख) "सुवाह्यता" से अभिप्राय है, सम्पूर्ण राष्ट्र में लाभार्थियों की सुविधा के अनुसार किसी उचित मूल्य की दुकान से उनका अधिकृत राशन प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाने हेतु उनको उपलब्ध करवाई गई कोई सुविधा;

(यग) "राशन कार्ड" से अभिप्राय है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 20) के अधीन या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी आदेश या प्राधिकार या किसी अन्य विशिष्ट उद्देश्य के लिए वस्तुओं की खरीद हेतू राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी आदेश या प्राधिकार के अधीन लाभार्थियों को जारी किया गया कोई पेपर या इलैक्ट्रॉनिक दस्तावेज या स्मार्ट कार्ड;

(यघ) "परिवार पहचान पत्र" से अभिप्राय है, हरियाणा परिवार पहचान पत्र अधिनियम, 2021 (2021 का 22) के अधीन 08 अंको की विशिष्ट पहचान संख्या वाला कुटुम्ब;

(यड़) "वसूली" से अभिप्राय है, भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा फसलवार यथा नियत वस्तु या इसकी आर्थिक लागत की वसूली;

(यच़) "राज्य सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;

(यछ) "सामाजिक अंकेक्षण" से अभिप्राय है, ऐसी प्रक्रिया, जिसमें सर्वसाधारण सामूहिक रूप के लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निगरानी तथा मूल्यांकन करते है;

(यज) "आपूर्ति श्रृंखला प्रबन्धन" से अभिप्राय है, संचालन की इलैक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एजेंसी द्वारा नामित डिपो से उचित मूल्य की दुकान के स्थल तक स्टॉक के संचलन के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन विकसित कोई प्रक्रिया;

(यझ) "लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली" से अभिप्राय है, वस्तुओं के वितरण के लिए कोई प्रणाली जैसे कि गेहूं, चीनी, मोटा अनाज, सरसों का तेल, चावल तथा ऐसी अन्य वस्तुएं जो केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, लाभार्थी को वितरण के लिए उपलब्ध करवाई जाएं;

(यञ) "निगरानी समिति" से अभिप्राय है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 20) के अधीन गठित कोई समिति;

(यट) "गांव" से अभिप्राय है, किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाली आबादी का समूह तथा जो राजस्व रिकॉर्ड में अभिलिखित है;

(यठ) "वार्ड" से अभिप्राय है, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नगरपालिका समिति या परिषद् या नगर निगम का कोई क्षेत्र;

(यड) "कार्य समय" से अभिप्राय है, उचित मूल्य की दुकान को खोलने तथा बन्द करने के लिए राज्य सरकार या निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट समय या अवधि;

(2) इन आदेशों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमशः भारत सरकार के लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 20) तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) में दिए गए है।

व्यवहारियों को अनुज्ञप्ति प्रदान करना।

3. (1) कोई भी व्यवहारी वैध अनुज्ञप्ति के बिना दुकान का संचालन नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा व्यवहारी को अनुज्ञप्ति प्ररूप के अनुसार प्रदान की जाएगीः

उचित मूल्य की दुकान के स्वामी का अनुज्ञापन प्राधिकारी।

4. (1) कोई भी व्यक्ति, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा उस निमित्त जारी की गई अनुज्ञप्ति के अधीन तथा के अनुसार के सिवाए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उचित मूल्य की दुकान में किसी वस्तु का संचालन नहीं करेगाः

परन्तु इस आदेश के लागू होने की तिथि को लागू किसी सुसंगत अनुज्ञप्ति आदेश के अधीन प्राप्त की गई ऐसी अनुज्ञप्ति इस आदेश के लागू होने की तिथि से इस आदेश के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति के रूप में समझी जाएगी।

(2) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन किसी वस्तु से सम्बन्धित प्रत्येक कारोबार स्थल के लिए पृथक अनुज्ञप्ति अपेक्षित होगी।

(3) उचित मूल्य की दुकान के स्वामी के कुटुम्ब का कोई भी सदस्य, अन्य उचित मूल्य की दुकान के लिए द्वितीय अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा तथा कोई भी व्यक्ति दूसरे के नाम (बेनामी) वाली कारोबार अनुज्ञप्ति का संचालन नहीं करेगा।

व्याख्याः– "कुटुम्ब" में वे सभी सदस्य शामिल हैं, जिनके नाम उचित मूल्य की दुकान के स्वामी के राशन कार्ड में दर्ज किए गए हैं।

(4) कोई भी व्यक्ति, उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि, उसकी अनुज्ञप्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश या किसी अन्य अधिनियम या राज्य सरकार के आदेश के अधीन पूर्व में रद्द की गई है।

(5) अनुज्ञप्तिधारी, राज्य सरकार द्वारा यथा निर्देशित पी0ओ0एस0 यंत्र या किसी अन्य यंत्र का प्रयोग करेगा तथा राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित तिथि से उचित मूल्य की दुकान संचालित करने हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए पूर्व शर्त के रूप में यंत्रों के माध्यम से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन सभी विक्रय संव्यवहारों का निष्पादन करेगाः

परन्तु किसी भी समय किसी वैध कारण के बिना पी.ओ.एस. यन्त्र या ऐसे यन्त्र का उपयोग करने में विफलता अनुज्ञप्ति के रद्दकरण का कारण होगी।

5. (1) अनुज्ञापन प्राधिकारी उचित मूल्य की दुकान के स्थानीय क्षेत्र में स्थानीय प्रचार तथा मुनादी के माध्यम से आवेदन मांगेगा। सभी प्रवर्गों के लिए आवेदक बेरोजगार होगा। उचित मूल्य की दुकान हेतु पात्र आवेदक के लिए धारा 2(द) में यथा विहित न्यूनतम योग्यता सभी प्रवर्गों के लिए होगी उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति जारी करना।

(2) महिलाओं के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत उचित मूल्य की दूकान आरक्षित होंगी। सभी पात्र महिला आवेदकों के 33 प्रतिशत महिला आरक्षण के भीतर अधिमान का प्रवर्ग निम्न अनुसार होगाः–

(i) तेजाब हमले से पीड़ित महिला;

(ii) विधवा;

(iii) उपरोक्त (i) तथा (ii) के सिवाय महिला आवेदक;

परन्तु यदि उसी प्रवर्ग में एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते है, तो उच्चतर योग्यता रखने वाले आवेदक को अधिमान दिया जाएगा।

(3) सभी पात्र पुरूष आवेदकों के अधिमान का प्रवर्ग निम्न अनुसार होगाः–

(i) अनुसूचित जाति पुरूष;

(ii) पिछड़ी जाति पुरूष;

(iii) उपरोक्त (i) तथा (ii) के सिवाय पुरूष आवेदक;

परन्तु यदि उसी प्रवर्ग में एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो उच्चतर योग्यता रखने वाले आवेदक को अधिमान दिया जाएगा।

(4) 33 प्रतिशत महिला आरक्षण ऐसी रीति में लागू किया जाएगा कि प्रत्येक तीसरी उचित मूल्य की दुकान पी.डी.एस. अनुज्ञप्ति महिला उम्मीदवार को आबँटित की जाएगी तथा इस सम्बन्ध में रिकॉर्ड प्रत्येक सम्बन्धित जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक के कार्यालय में अनुरक्षित किया जाएगा।

(5) उचित मूल्य की दुकान के लिए आवेदन, ग्रामीण क्षेत्र, में सम्बन्धित पंच या सरपंच द्वारा तथा शहरी क्षेत्र में नगर निगम के लिए मेयर, उप मेयर, नगरपालिका पार्षद तथा नगर पालिका परिषद में उसी प्रकार, सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के विधानसभा सदस्य द्वारा अनुशंसित किए जाएंगे। उचित मूल्य की दुकान के लिए आवेदन सम्बन्धित निरीक्षक खाद्य एवं आपूर्ति या उप–निरीक्षक, खाद्य एवं आपूर्ति द्वारा सत्यापित तथा सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी द्वारा उसे अग्रेषित किया जाएगा। आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र आई0डी0 होना चाहिए।

(6) इस आदेश के अधीन जारी की गई, पुनः जारी की गई या नवीकृत की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति प्ररूप 'ख' में होगी तथा स्कीम वार वस्तु (वस्तुएं) जिसका उचित मूल्य की दुकान का स्वामी व्यवहार करेगा तथा कारोबार का स्थान तथा अधिकारिता, जहां उचित मूल्य की दुकान का स्वामी उसका संचालन करेगा, विनिर्दिष्ट करेगा।

(7) नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन, ऐसी अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तिथि से कम से कम पैंतालीस दिन पूर्व अनुज्ञप्ति की मूल प्रति सहित किया जाएगा।

(8) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन का निपटान अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तिथि से पूर्व किया जाएगा :

परन्तु जहां अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि में प्राप्त किया गया है और अस्वीकृत नहीं किया गया है या आवेदक को वापिस नहीं लौटाया गया है, तो अनुज्ञप्ति की वैधता, आवेदन के निपटान करने तक समाप्त हुई नहीं समझी जाएगी।

(9) जहां इस आदेश के अधीन जारी की गई कोई अनुज्ञप्ति गुम या नष्ट या विकृत हो जाती है, तो उचित मूल्य की दुकान का स्वामी फीस जमा करवाते हुए आवेदन करने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी से तुरन्त उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करेगा।

(10) अनुज्ञप्ति प्रदान करना अनुज्ञप्तिधारी को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के आबंटन के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के आबंटन के लिए सक्षम प्राधिकारी, ऐसे सम्यक् कारकों जैसे कि लाभार्थियों की पसन्द, पूर्व आबंटित कोटे का उपयोग, आपूर्ति किए जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्र से दूरी, इस आदेश के अधीन किए गए उपबन्धों की अनुपालना, को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान के स्वामी को आंबटित किये जाने वाले कोटे के बारे में निर्णय करेगा।

(11) किसी भी मामलें में, किसी भी व्यक्ति या पारिवारिक सदस्य या किसी अन्य रिश्तेदार या किसी अन्य व्यक्ति को अनुज्ञप्ति हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

(12) उपरोक्त सभी उचित मूल्य की दुकान की सेवाएं केवल राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऑनलाईन या अन्य के माध्यम से पहुंचाई जाएगी।

अनुज्ञप्ति की अवधि तथा प्रभार्य फीस।

6. (1) इस आदेश के अधीन प्रदान की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति, एक वर्ष की अवधि या वर्ष के भाग की अवधि के लिए वैध रहेगी तथा दो वर्ष की अवधि या वर्ष के भाग की अवधि के लिए एक बार नवीकृत की जा सकती हैः

परन्तु यदि उचित मूल्य की दुकान का स्वामी साठ वर्ष की आयु पूरी कर लेता हो, तो अनुज्ञप्ति नवीकृत नही की जाएगी।

व्याख्याः– "वर्ष" से अभिप्राय है, अप्रैल के प्रथम दिन से प्रारम्भ तथा आगामी वर्ष के मार्च के 31वें दिन को समाप्त वित्तीय वर्ष।

(2) प्रत्येक अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में प्रभार्य फीस निम्न अनुसार होगीः–

(क)	उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए:	₹ 5000/–(केवल पांच हजार रूपए);
(ख)	व्यवहारी की अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए:	₹ 20000/– (केवल बीस हजार रूपए);
(ग)	उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए:	₹ 1000/–(केवल एक हजार रूपए);
(घ)	व्यवहारी की अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए:	₹ 5000/– (केवल पांच हजार रूपए);
(ङ)	प्रतिलिपि अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए:	₹ 500/– (पांच सौ रूपए);

परन्तु यदि अनुज्ञप्तिधारी 31 मार्च से पूर्व अपनी अनुज्ञप्ति नवीकरण कराने में असफल रहता है, तो वह समाप्ति की तिथि से तीन मास के भीतर उसे नवीकृत करवा सकता है किन्तु अनुबन्ध अवधि के भीतर अनुज्ञप्ति नवीकरण कराने में उसकी असफलता के लिए वह विलम्ब के न्यायसंगत पर्याप्त कारण दर्शाएगाः–

(i) यदि कोई उचित मूल्य की दुकान का स्वामी वैधता की अवधि की समाप्ति से पूर्व नवीकरण के लिए आवेदन करने में असफल रहता है, किन्तु यदि वह वैधता की अवधि की समाप्ति के बाद, एक मास के भीतर आवेदन करता/करती है, तो वह नवीकरण फीस के अतिरिक्त ₹ 500/–(केवल पांच सौ रूपए) की शास्ति का भी भुगतान करेगा;

(ii) यदि कोई उचित मूल्य की दुकान का स्वामी वैधता की अवधि की समाप्ति के दो मास के भीतर नवीकरण के लिए आवेदन करने में असफल रहता है, तो वह नवीकरण फीस के अतिरिक्त ₹ 1000/– (केवल एक हजार रूपये) की शास्ति का भी भुगतान करेगा;

(iii) यदि कोई उचित मूल्य की दुकान का स्वामी वैधता की अवधि की समाप्ति के तीन मास के भीतर नवीकरण के लिए आवेदन करने में असफल रहता है, तो वह नवीकरण फीस के अतिरिक्त ₹ 2000/– (केवल दो हजार रूपये) की शास्ति का भी भुगतान करेगा;

(iv) उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति या उसके नवीकरण या उसकी प्रतिलिपि प्रदान करने के लिए प्रत्येक आवेदन अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्ररूप 'क' में किया जाएगा तथा एक मास के भीतर पूरा किया जाएगा।

(v) यदि कोई उचित मूल्य की दुकान का स्वामी तीन मास की समाप्ति के बाद भी अपनी अनुज्ञप्ति का नवीकरण कराने में असफल रहता है, तो उसकी अनुज्ञप्ति तब तक रद्द हुई समझी जाएगी जब तक वह विलम्ब के तर्कसंगत पर्याप्त कारण प्रदर्शित नहीं करता। यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी विलम्ब के कारण से सन्तुष्ट हो जाता है, तो वह नवीकरण फीस के अतिरिक्त ₹ 20000/– (केवल बीस हजार रूपए) जमा करवाने के बाद अनुज्ञप्ति को नवीकृत करेगा ;

(3) उपरोक्त विनिर्दिष्ट फीस, "0435–अन्य कृषि प्रोग्राम अनुज्ञप्ति/नवीकरण/प्रतिभूति फीस के लिए 0435–51–800–99–96 तथा राशन कार्ड फीस के लिए 0435–51–800–99–97)" मुख्य शीर्ष के अधीन राज्य सरकार के पास जमा करवाने के लिए चालान द्वारा सरकारी खजाने में या राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, यथा विनिर्दिष्ट ऑनलाइन ढंग के माध्यम से जमा करवाई जाएगी।

(4) आवेदन के साथ फीस के भुगतान के प्रमाण के रूप में खजाना चालान रसीद लगाई जाएगी।

7. (1) प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान का स्वामी या व्यवहारी, उसको अनुज्ञप्ति जारी करने से पूर्व, इसमें, इसके बाद, नीचे यथा विनिर्दिष्ट रीति में, अनुज्ञापन प्राधिकारी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में नीचे वर्णित राशि जमा करवाएगाः– जमा प्रतिभूति।

(i) उचित मूल्य की दुकान के लिएः **₹ 20000**/– (केवल बीस हजार रूपए) ;

(ii) व्यवहारी के लिएः **₹ 50000**/– (केवल पचास हजार रूपये)।

(2) उप खण्ड (1) में निर्दिष्ट जमा प्रतिभूति अनुज्ञापन प्राधिकारी के पक्ष में पृष्ठाकिंत भारतीय स्टेट बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या राज्य सरकार के प्राधिकृत बैंक की "मांग–रसीद में जमा" के रूप में होगी।

(3) उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट जमा प्रतिभूति की राशि बढ़ाई जा सकती है, यदि कोई अतिरिक्त यन्त्र दिया जाता है या जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किया जाता है।

8. (1) अनुज्ञाापन प्राधिकारी आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा तथा सुनवाई के बाद अनुज्ञप्ति नवीकरण कर सकता है, यदि उसकी राय है कि अनुज्ञप्तिधारी का कार्य सन्तोषजनक नहीं था या कि उचित मूल्य की दुकान का स्वामी अधिनियम या उसके अधीन जारी किसी आदेश के किन्हीं उपबन्धों या अनुज्ञप्ति के निबन्धनों तथा शर्तों का उल्लंघन करता है या कि उचित मूल्य की दुकान का स्वामी कोई अन्य वणिज्यिक हित रखता है, जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निर्बाध संचालन के लिए हानिकारक हो या कि व्यवहारी के संचालन की अपेक्षित मात्रा आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है या कि अनुज्ञप्ति का नवीकरण अन्यथा से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दक्ष कार्यान्वयन के हित में नहीं है। अनुज्ञापन प्राधिकारी इस सम्बन्ध में स्पीकिंग ऑर्डर पारित करेगा। व्यवहारी तथा उचित मूल्य की दुकान के स्वामी की अनुज्ञप्ति के नवीकरण से इन्कार करने की शक्ति।

(2) जहां अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन को अस्वीकृत नहीं किया जाता है, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी, प्ररूप 'ख' में वर्णित शर्तों के अध्यधीन तथा ऐसी अन्य शर्तों पर, जो अनुज्ञापन प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करे या ऐसी हिदायतें जो अनुज्ञापन प्राधिकारी समय–समय पर जारी करें, आवेदक को अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा।

9. उचित मूल्य की दुकान के स्वामियों की जिम्मेवारियां तथा कर्तव्यों में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल होंगेः– उचित मूल्य की दुकान के स्वामियों की जिम्मेवारियां तथा कर्त्तव्य।

(i) राज्य सरकार द्वारा नियत किए गए समय के भीतर राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत थोक नामनिर्देशिती या व्यवहारी या किसी अन्य एजेंसी के पास लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की लागत जमा करवाना। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियत परचून निर्गम मूल्य पर लाभार्थी राशन कार्ड/परिवार पहचान पत्र धारकों की हकदारी के अनुसार वस्तुओं का विक्रय करना;

(ii) उचित मूल्य की दुकान में सुपुर्दगी लेने के तुरन्त बाद, पी.ओ.एस. यन्त्र में मासिक आबंटन की वस्तुएं प्राप्त करना ;

(iii) निम्नलिखित के सम्बन्ध में दैनिक आधार पर, दुकान में मुख्य स्थान पर नोटिस बोर्ड पर अद्यतन सूचना का प्रदर्शन करना :–

(क) हैल्पलाईन नम्बर ;

(ख) उचित मूल्य की दुकान के स्वामी का मोबाईल नम्बर ;

(ग) उचित मूल्य की दुकान की पहचान संख्या (12 डिजिट);

(घ) निरीक्षक या सहायक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अधिकारी या जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक के कार्यालयों के दूरभाष नम्बर ;

(ङ) सभी प्रवर्गों के लाभार्थियों की सूची ;

(च) वस्तुओं की हकदारी;

(छ) जारी करने का पैमाना ;

(ज) परचून निर्गम मूल्य ;

(झ) उचित मूल्य की दुकान को खोलने तथा बन्द करने का समय ;

(ञ) मास के दौरान प्राप्त वस्तुओं का स्टॉक ;

(ट) वस्तुओं का प्रारम्भिक तथा समापन स्टॉक;

(ठ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वस्तुओं की गुणवत्ता तथा मात्रा के सम्बन्ध में शिकायतों के निवारण या शिकायतें दायर करने के लिए प्राधिकारी;

(iv) लाभार्थी राशन कार्ड धारकों के रिकार्ड का रखरखाव ;

(v) कार्यालय प्रयोजन या सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 22) या ग्राम पंचायत या नगरपालिका या नगर परिषद् या नगर निगम या सतर्कता समिति या इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अन्य निकाय के लिए राज्य सरकार द्वारा यथा निर्देशित जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक या जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी या सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी या निरीक्षक, खाद्य एवं आपूर्ति या उप–निरीक्षक खाद्य एवं आपूर्ति के कार्यालय से या तो मैन्युअल रूप से या इलैक्ट्रॉनिक रूप से मांगे गए विनिर्दिष्ट दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करना;

(vi) उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे पारदर्शी डिब्बों में खाद्यान्नों के नमूनों का प्रदर्शन करना ;

(vii) निरीक्षण एजेंसी को वस्तुओं के आबंटन तथा वितरण से सम्बन्धित मैन्युअल रूप से या इलैक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न पुस्तकें तथा रिकॉर्ड प्रस्तुत करना तथा ऐसी सूचना देना जो प्राधिकारी द्वारा मांगी जाए ;

(viii) नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित विहित समय के अनुसार उचित मूल्य की दुकान को खोलना तथा बन्द करना ;

(ix) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लाभार्थी/राशन कार्ड/परिवार पहचान पत्र धारकों को उनकी हकदारी के अनुसार उचित मूल्य की दुकान का स्वामी, उसके पास स्टाक में रखी वस्तुओं की आपूर्ति से इन्कार नहीं करेगा ;

(x) उचित मूल्य की दुकान का स्वामी केवल पचास रूपए या राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, विनिर्दिष्ट किसी फीस का भुगतान करने पर उस द्वारा अनुरक्षित रिकॉर्ड के सुसंगत उद्धरण लाभार्थी को उपलब्ध करवाएगा;

(xi) उचित मूल्य की दुकान का स्वामी वस्तुओं के वितरण के बाद राशन कार्ड नही रखेगा;

(xii) उचित मूल्य की दुकान का स्वामी तोल तथा माप के लिए केवल इलैक्ट्रॉनिक तोल मशीन का प्रयोग करेगा, जो विधिक माप–पद्धति विभाग, हरियाणा द्वारा विधिवत सत्यापित है;

(xiii) उचित मूल्य की दुकान का स्वामी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के सम्पूर्ण रिकॉर्ड को कम से कम दो वर्ष के लिए या राज्य सरकार द्वारा यथा निर्देशित समय के लिए अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा ;

(xiv) उचित मूल्य की दुकान का स्वामी, आबंटित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं, उस द्वारा पात्र उपभोक्ताओं को वितरित मात्रा तथा शेष स्टाक आदि के बारे में सतर्कता समिति के किन्हीं दो सदस्यों को प्रत्येक मास सूचना देगा अन्यथा उचित मूल्य की दुकान के स्वामी को आगामी मास के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की कोई भी आपूर्ति नहीं की जाएगी। वह पूर्व मास में आंबटित सभी वस्तुओं के सन्तोषजनक वितरण के बारे में सतर्कता समिति से "सन्तुष्टि प्रमाण–पत्र" भी प्राप्त करेगा ;

(xv) उचित मूल्य की दुकान का स्वामी केवल अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट स्थान पर या अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित स्थान पर ही वस्तुओं का भण्डार तथा विक्रय करेगा ;

(xvi) उचित मूल्य की दुकान का स्वामी लाभार्थियों से उचित सम्मान के साथ व्यवहार करेगा। वरिष्ठ नागरिकों तथा महिला लाभार्थियों को भी उचित सम्मान देगा तथा आदर करेगा ;

(xvii) पी.ओ.एस. यन्त्र को सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा तथा उसे उचित कर्मिष्ठता से चलाएगा ;

(xviii) उचित मूल्य की दुकान का स्वामी, उस द्वारा जमा करवाई गई प्रतिभूति की राशि तक की शास्ति सहित यंत्र की कीमत की सीमा तक पी.ओ.एस. यन्त्र की पूर्ण या आंशिक हानि या उस में हेर–फेर करने के लिए एकमात्र जिम्मेवार होगा ;

(xix) लाभार्थी को वितरित की गई वस्तुओं की पी.ओ.एस. यन्त्र से प्राप्त मुद्रित रसीद देगा ;

(xx) किसी भी प्राधिकृत उचित मूल्य की दुकान का स्वामी, उसकी दुकान में अनुसूचित वस्तुओं के वितरण के लिए कुटुम्ब के सदस्यों से अन्यथा किसी अन्य व्यक्ति को अनुमत नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति बेनामी के रूप में अनुसूचित वस्तुओं का वितरण करते हुए पाया जाता है, तो ऐसी दुकान का प्राधिकार, रद्द करने तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) की धारा 6क के अधीन दुकान में उपलब्ध वस्तुओं की जब्ती करने के लिए दायी होगा तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन शास्ति के लिए भी दायी होगा ;

(xxi) उचित मूल्य की दुकान का स्वामी इलैक्ट्रॉनिक पी0ओ0एस0 यंत्र के माध्यम से लाभार्थियों का प्रमाणीकरण करने के बाद अनुसूचित वस्तुएं नहीं रखेगा;

(xxii) उचित मूल्य की दुकान का स्वामी इलैक्ट्रॉनिक पी0ओ0एस0 यंत्र के माध्यम से रसीद बनाने के लिए कोई मानक, पोटली या वजन या पत्थर नहीं रखेगा और लाभार्थियों को वस्तुओं का वितरण करने के लिए वस्तुओं को मापने हेतु किसी टिन या डिब्बों का उपयोग नहीं करेगा ;

(xxiii) कोई भी उचित मूल्य की दुकान का स्वामी, अनुसूचित वस्तुओं का विक्रय राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, नियत दरों से अधिक कीमत पर नहीं करेगा;

(xxiv) उचित मूल्य की दुकान का स्वामी, सामाजिक अंकेक्षण के दौरान सहयोग करेगा ; तथा

(xxv) कोई भी उचित मूल्य की दुकान का स्वामी, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रिकॉर्ड में हेर–फेर नहीं करेगा, इलैक्ट्रॉनिक यंत्र को खराब नहीं करेगा, संव्यवहार से अन्यथा के लिए सिम कार्ड का प्रयोग नहीं करेगा;

(xxvi) जब कभी राज्य सरकार द्वारा वस्तुओं का गृह वितरण कार्यान्वित करने का निर्णय किया जाए तब उचित मूल्य की दुकान का स्वामी सरकार की सहायता करेगा।

10. (1) व्यवहारी निम्नलिखित के लिए जिम्मेवार होंगे :— व्यवहारियों की जिम्मेवारियों तथा कर्त्तव्य।

(क) मास, जिससे आबंटन सम्बन्धित है, के पूर्वगामी मास में प्राधिकृत या नामांकित एजेंसी से अनिवार्य वस्तुओं को प्राप्त करने के बाद लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बन्धित अनिवार्य वस्तुओं को सुरक्षित रखना ;

(ख) उचित मूल्य की दुकान के स्वामी को उसकी मांग पर तथा यथा विहित वस्तुओं की लागत के पूर्व भुगतान के अध्यधीन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की तुरन्त आपूर्ति करना ;

(ग) राज्य सरकार या अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा, समय–समय पर, यथा विहित मैन्युअल रूप में या इलैक्ट्रॉनिक रूप में बनाए गए रजिस्टर या रिकॉर्ड का रख–रखाव करना ;

(घ) प्राधिकृत निरीक्षण अधिकारी द्वारा मांग करने पर ऐसा रिकार्ड तथा सूचना प्रस्तुत करना ;

(ड.) राज्य सरकार द्वारा यथा विहित प्रमाणित इलैक्ट्रॉनिक तोल मशीन (तराजू), बाट तथा माप रखना ;

(च) परिसर के प्रवेशद्वार के निकट कारोबार परिसर के बाहर मुख्य स्थान पर सूचना पट्ट पर निम्नलिखित सूचना प्रदर्शित करना, अर्थात्:—

(i) हैल्पलाईन नम्बर ;

(ii) दुकान की समय–सारणी ;

(iii) दैनिक आधार पर प्रारम्भिक स्टॉक, प्राप्त मात्रा, बेची गई मात्रा, अन्तिम स्टॉक;

(iv) प्रत्येक (वस्तु) का निर्गम मूल्य;

(v) अनुज्ञप्ति संख्या/स्वामी का नाम तथा मोबाईल नम्बर ;

(छ) आनुक्रमिक क्रम में सही नकदी रसीद, गेट पास तथा सूचीबद्ध वस्तुओं की दशा में, उचित मूल्य की दुकान के स्वामी को तोल पर्ची की मुद्रित प्रति उपलब्ध करवाना ;

(ज) स्टॉक में विक्रय के लिए रखे गए खाद्यान्नों के नमूने पारदर्शी पात्रों में प्रदर्शित करना ;

(झ) पचास रूपए या राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, विहित किसी फीस का भुगतान करने पर किसी भी व्यक्ति को रिकॉर्ड के सुसंगत उद्धरण उपलब्ध करवाना;

(ञ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का वैज्ञानिक भण्डारण करने के लिए प्रबन्ध करना;

(ट) सुनिश्चित करना कि उसके एजेंट तथा कर्मचारी अनुज्ञप्ति के सभी निबन्धनों तथा शर्तों तथा इस आदेश के उपबन्धों की पालना करते हैं ;

(ठ) राज्य सरकार द्वारा यथा निर्देशित उचित मूल्य की दुकानों के लिए आबंटन मास हेतु वस्तुओं को समय पर उठाना तथा वितरण करना;

(ड) रिकॉर्ड के उद्धरण प्राप्त करने के लिए फीस तथा समय सीमा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 22) के उपबन्धों के अनुसार होगी।

(2) व्यवहारी:—

(क) अनुज्ञापन प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा या अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी कार्य दिवस को कारोबार के समय के दौरान कारोबार परिसर को बन्द नहीं करेगा;

(ख) उस अनुज्ञप्तिधारी, जिसके लिए वस्तुओं की आपूर्ति की जानी है, से अन्यथा किसी व्यक्ति को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का वितरण नहीं करेगा;

(ग) अनुज्ञप्ति में अनुज्ञात स्थान से अन्यथा किसी स्थान पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का स्टाक या भण्डार नहीं करेगा;

(घ) अन्य अनुज्ञप्तिधारियों का रिकार्ड या रजिस्टर अपने पास नहीं रखेगा ;

(ड.) अनुज्ञप्त कारोबार परिसरों से अन्यथा किसी स्थान पर कारोबार से सम्बन्धित रिकार्ड नहीं रखेगा।

व्यवहारी तथा उचित मूल्य की दुकान के थोक या परचून केन्द्रों पर सुविधाएं तथा उनका कार्य समय।

11. व्यवहारी तथा उचित मूल्य की दुकान के स्वामी अपने कारोबार परिसरों पर निम्नलिखित अवसरंचना तथा सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रबन्ध करेंगे, अर्थात्:—

(क) भवन का उपयुक्त आकार, जिसमें कम से कम दो मास के साधारण आबंटन की सूचीबद्ध वस्तुओं की मात्रा का भण्डार किया जा सके तथा उनका वितरण लाभार्थियों को बिना किसी असुविधा के किया जा सके ;

(ख) उचित मूल्य की दुकान के लिए कम से कम क्षेत्र 150 वर्ग फुट होगा। उचित मूल्य की दुकान के सामने महिलाओं तथा पुरूषों के लिए अलग पंक्ति हेतु पर्याप्त स्थान होगा;

(ग) राज्य सरकार द्वारा, समय—समय पर, जारी हिदायतों के अनुसार पी.ओ.एस. यन्त्र या कोई अन्य यंत्र लगाना सुनिश्चित करना।

अवधि	समय
ग्रीष्मकाल	सुबह 8:00 बजे से 12:00 बजे तक
एक अप्रैल से 30 सितम्बर	सायँ 5:00 बजे से 8:00 बजे तक
शीतकाल	सुबह 9:00 बजे से 1:00 बजे तक
एक अक्तूबर से 31 मार्च तक	सायँ 3:00 बजे से 6:00 बजे तक

लेखों का रख—रखाव।

12. (1) व्यवहारी तथा उचित मूल्य की दुकान का स्वामी आपूर्ति की गई प्रत्येक वस्तु के लिए मैन्युअल रूप में या इलक्ट्रॉनिक रूप में बनाए गए लेखों, विक्रय या स्टाक के अलग—अलग रजिस्टर रखेगा। वह लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन प्राप्त की गई तथा निपटान की गई वस्तुओं की रसीदें या बीजक तथा ऐसे अन्य ब्यौरे, जो राज्य सरकार या अनुज्ञापन प्राधिकारी, आदेश द्वारा, इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करें, का भी रिकार्ड रखेगा।

(2) व्यवहारी या उचित मूल्य की दुकान के स्वामी को लेखा पुस्तकों या पी.ओ.एस. यंत्र के माध्यम से बनाई गई ऑनलाईन विक्रय रसीदों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण हेतु, राज्य सरकार द्वारा, समय—समय पर, जारी हिदायतों के अनुसार ऐसे समय तक सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।

अनुज्ञप्ति या नियंत्रण आदेश की शर्तों का उल्लंघन।

13. (1) इस आदेश के अधीन जारी अनुज्ञप्ति का कोई भी धारक, अनुज्ञप्ति के किन्हीं निबन्धनों तथा शर्तों या इस अधिनियम के अधीन जारी किन्हीं नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन नहीं करेगा। यदि वह उक्त किन्हीं निबन्धनों या शर्तों की उल्लघंना करता है, तो किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो उसके विरूद्ध की जा सकती है, कोई भी नोटिस दिए बिना आपूर्ति तुरन्त प्रभाव से रोक दी जाएगी। यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी की सन्तुष्टि हो जाती है कि उचित मूल्य की दुकान के स्वामी ने अनुज्ञप्ति की किन्हीं शर्तों का उल्लघंन किया है या वह अपने कर्त्तव्यों का उचित रूप से पालन नहीं कर रहा है, जैसे कि:—

(क) आदेश की धारा 9 में यथा परिभाषित दैनिक आधार पर दुकान में किसी प्रमुख स्थान पर सूचना पट्ट पर अद्यतन सूचना प्रदर्शित नहीं करता है;

(ख) लाभार्थी को पी0ओ0एस0 यंत्र से उत्पन्न वितरित वस्तुओं की मुद्रित रसीद नही देता है;

तो अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध नीचे वर्णित अनुसार एक या एक से अधिक कार्रवाईयाँ करेगा:—

(i) उल्लंघन की गंभीरता पर निर्भर करते हुए प्रतिभूति की जमा सम्पूर्ण राशि या उसके किसी भाग की जब्ती, जो दो हजार रूपये से कम नहीं होगी;

(ii) अनुज्ञप्ति का रद्दकरण तथा उस द्वारा जमा प्रतिभूति की राशि की जब्ती;

(iii) अधिनियम या इस आदेश के उपबन्धों के अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के विपथन या गबन तथा अनुरक्षित रिकॉर्ड को क्षतिग्रस्त करने के लिए दाण्डिक मुकदमें का पंजीकरण :

(vi) अनुज्ञापन प्राधिकारी स्पीकिंग आदेश पारित करेगाः

परन्तु यह और कि उपरोक्त वर्णित दाण्डिक कार्रवाई के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं किया जाएगा यदि अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया जाता है।

(2) यदि किसी भी समय प्रतिभूति की राशि खण्ड 7 के उप खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट राशि से कम पड़ जाती है, तो अनुज्ञप्तिधारी, राज्य सरकार या अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा किए जाने पर, राशि पूरी करने के लिए अतिरिक्त प्रतिभूति तुरन्त जमा करवाएगा।

(3) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति के अधीन सभी बाध्यताओं की पालना करने पर, जमा प्रतिभूति या उसके ऐसे भाग की राशि, जो उपरोक्त अनुसार जब्त नहीं की गई है, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति के समापन के बाद अनुज्ञप्तिधारी को वापस कर दी जाएगी।

(4) यदि अनुज्ञप्तिधारी, वाहक या संविदाकार या व्यवहारी या लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं को उठाने या उतारने या परिवहन करने या वितरण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति या एजेंसी द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का कोई दुर्विनियोग या विपथन या प्रतिस्थापन या नश्वरता होती है, तो इस प्रकार दुर्विनियोग या विपथन या प्रतिस्थापन या नश्वर वस्तुओं की राशि भारतीय खाद्य निगम से जारी वस्तुओं की अभिभावी दर या बाजार दर या राज्य सरकार द्वारा विहित दर, जो भी अधिक हो, के अनुसार संगणित की जाएगी। वस्तुओं के लिए इस प्रकार संगणित राशि, अनुज्ञप्तिधारी, वाहक या संविदाकार या व्यवहारी या लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं को उठाने या उतारने या परिवहन करने या वितरण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति या एजेंसी से शास्ति के रूप में प्रतिभूति से या इस आदेश के खण्ड 6 के उप–खण्ड (3) में यथा वर्णित सरकारी लेखों शीर्ष में प्राप्ति या भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

(5) अनुज्ञापन प्राधिकारी, लिखित आदेश द्वारा उचित मूल्य की दुकान के स्वामी या व्यवहारी की अनुज्ञप्ति को निलंबित कर सकता है, यदि उचित मूल्य की दुकान के स्वामी या व्यवहारी के विरूद्ध इस आदेश के किसी उपबन्ध के अधीन कोई कार्रवाई प्रारम्भ की गई है तथा उक्त अनुज्ञापन प्राधिकारी की सन्तुष्टि हो जाती है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के स्टॉक को संभालने में व्यवहारी या उचित मूल्य की दुकान के स्वामी को अनुमत करना लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निर्बाध संचालन के हित में नहीं है। इस उप–खण्ड के अधीन कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व, पूर्व नोटिस दिया जाना आवश्यक होगा।

व्याख्याः– इस उप–खण्ड के प्रयोजन हेतु , इस आदेश के उपबन्ध के अधीन कार्रवाईयां, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करने की तिथि से प्रारम्भ की गई समझी जाएगी।

(6) किसी अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध लम्बित जांच या अन्वेषण के साठ दिन से अनधिक अवधि के लिए किसी अनुज्ञप्ति धारी कोटा आंबटन को रोकने के लिए कोई भी पूर्व कारण बताओ नोटिस दिया जाना अपेक्षित नहीं होगा, यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास विश्वास करने का कारण है कि अनुज्ञप्तिधारी ने उसे पहले आंबटित किए गए कोटे के सम्बन्ध में उचित तथा सही लेखे नहीं बनाए हैं या लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के स्टॉक का गैर–कानूनी रूप से विपथन या प्रतिस्थापन किया है या कोई अन्य अनियमितता की है।

(7) प्राधिकारी या इस निमित्त उस द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वस्तुओं के वितरण तथा व्यवहार करने में लगा है, उनके प्रतिस्थापन या मिलावट में या प्राधिकृत गोदामों से स्टॉक की चोरी या उचित मूल्य की दुकान के परिसरों से पारगमन में लिप्त नही होगा।

व्याख्याः इस खण्ड के प्रयोजन हेतु :–

(i) "विपथन" से अभिप्राय है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन केन्द्रीय गोदामों या प्राधिकृत गोदामों से जारी की गई वस्तुओं की सुपुर्दगी का अप्राधिकृत संचलन किन्तु पात्र लाभार्थियों तक नहीं पहुंचना या सक्षम प्राधिकारी के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना मार्ग का विपथन;

(ii) "प्रतिस्थापन" से अभिप्राय है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पात्र लाभार्थियों को वितरण के लिए केन्द्रीय गोदामों या प्राधिकृत गोदामों से जारी वस्तुओं का निम्न गुणवत्ता की समान वस्तुओं से प्रतिस्थापन।

दोषसिद्धि के मामले में अनुज्ञप्ति का रद्दकरण।

14. खण्ड 13 में दी गई किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई अनुज्ञप्तिधारी किन्हीं वस्तुओं के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 3 के अधीन किए गए किसी आदेश या किसी अधिनियम या आदेश जो लागू हो, के उल्लंघन के सम्बन्ध में किसी विधि न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया है, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी, लिखित आदेश द्वारा तुरन्त उसकी अनुज्ञप्ति रद्द करेगा :

परन्तु जहां अनुज्ञप्तिधारी किसी आदेश, अपील या पुनरीक्षण में विमुक्त किया जाता है या ऐसी दोषसिद्धि अपास्त कर दी जाती है तथा जहां कोई अपील नहीं की गई है या अपील दायर करने की समय सीमा समाप्त हो गई है, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी, ऐसे व्यक्ति, जिसकी अनुज्ञप्ति रद्द की गई है, द्वारा नवीकरण फीस या देय कोई अन्य फीस के भुगतान सहित प्ररूप 'क' में आवेदन करने पर, इस प्रकार रद्द की गई अनुज्ञप्ति में वर्णित अवधि तक ऐसे व्यक्ति को अनुज्ञप्ति पुनः जारी कर सकता है।

विवरणियां प्रस्तुत करना।

15. राज्य सरकार या निदेशक या जिले का उपायुक्त या अनुज्ञापन प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, समय–समय पर, प्ररूप ग में विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी को निर्देश दे सकता है।

अपील।

16. (1) इस आदेश के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में डिपो धारकों के बारे जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक के किसी आदेश के विरूद्ध सभी अपीलें संबंधित जिले के उपायुक्त के सम्मुख दायर की जाएंगी। ऐसी अपीलें अनुज्ञापन प्रधिकारी के आदेश की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर दायर की जाएंगी।

(2) अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में निदेशक के किसी आदेश के विरूद्ध सभी अपील अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग के सम्मुख दायर की जाएंगी। ऐसी अपीलें, अनुज्ञापन प्रधिकारी के ओदश की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर दायर की जाएंगी।

स्टॉक के निपटान के लिए निदेश करने की शक्ति।

17. जहां ,लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वस्तुओं का कोई स्टॉक रखने वाला कोई व्यक्ति या अनुज्ञप्तिधारी इस आदेश के लागू होने के पश्चात् अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं करता है या नहीं रखता है या जहां वस्तुओं का कोई स्टॉक रखने वाला कोई अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति का नवीकरण नही करवाता है या जहां उसके नवीकरण हेतु उसका आवेदन इंकार या रद्द या निलम्बित, कर दिया गया है, जैसी स्थिति हो, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को उस द्वारा रखी गई वस्तुओं के स्टॉक को निर्देश में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी तिथि तक ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को विक्रय या अन्तरण द्वारा निपटान करने का निदेश कर सकता है तथा व्यक्ति ऐसे निदेश की पालना करेगा।

निदेश तथा मार्गदर्शन जारी करना।

18. राज्य सरकार, समय–समय पर, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दक्षता में सुधार करने तथा उसको प्रभावी बनाने के लिए तथा इस आदेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसे दिशा–निर्देश तथा निर्देश, जो वह उचित समझे, जारी करने के लिए सशक्त होगी।

एक उचित मूल्य की दुकान से दूसरी दुकान तक वस्तुओं की आपूर्ति का संयोजन।

19. जब किसी उचित मूल्य की दुकान की आपूर्ति निलम्बित की जाती है या उसकी अनुज्ञप्ति रद्द की जाती है या उचित मूल्य की दुकान का स्वामी उसकी मृत्यु, बीमारी या अन्य किसी वैध कारण से अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तो उस उचित मूल्य की दुकान की आपूर्ति को लाभार्थियों के हित तथा सुविधा को ध्यान में रखते हुए निकटतम उचित मूल्य की दुकान के साथ जोड़ा जाएगा। वस्तुओं का शेष स्टॉक भी उस उचित मूल्य की दुकान को स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिसमें आपूर्ति सम्मिलित की गई है। शेष स्टॉक के रिकार्ड तथा दस्तावेजों में सुसंगत प्रविष्टियों का उस उचित मूल्य की दुकान के स्वामी, जिसके साथ आपूर्ति जोड़ी गई है, द्वारा रख–रखाव किया जाएगा। सम्बन्धित उपकरणों सहित पी.ओ.एस. यन्त्र तथा रिकॉर्ड भी, सम्बन्धित उप–निरीक्षक, खाद्य एवं आपूर्ति या निरीक्षक, खाद्य एवं आपूर्ति या सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी की उपस्थिति में, जोड़ी गई उचित मूल्य की दुकान को सौंप दिया जाएगा।

राशन कार्ड जारी करना।

20. (1) राज्य सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लाभार्थियों को विशेष कागज या डाटा आधारित इलैक्ट्रॉनिक राशन कार्ड जारी करेगी। राशन कार्ड ऐसी प्रक्रिया अपनाते हुए जारी किए जाएंगे जो राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, विहित किए जाएः

परन्तु उन व्यक्तियों को राशन कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे, जो भारत के नागरिक न हों तथा जो राज्य के क्षेत्र, जिसके लिए वे राशन कार्ड हेतु आवेदन कर रहे हैं, के निवासी या अधिवासी न हों। आवेदक को राशन कार्ड के आवेदन के साथ वैध पहचान का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति,–

(i) राशन कार्ड के लिए आवेदन नहीं करेगा या प्राप्त नहीं करेगा, यदि उसको या उसके कुटुम्ब के सदस्य के पक्ष में राशन कार्ड में शामिल उसके नाम सहित राशन कार्ड पहले जारी किया गया है;

(ii) कुटुम्ब के लिए राशन कार्ड हेतु आवेदन करते समय गलत विवरण या सूचना नहीं देगा;

(iii) राशन कार्ड में किन्हीं प्रविष्टियों में जानबूझकर हेर–फेर करने या नष्ट करने, विरूपित करने या विरूपित करने की अनुमति नहीं देगा;

(iv) उसे जारी किए गए राशन कार्ड को किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं करेगा तथा इस आदेश के उपबन्धों के अधीन तथा के अनुसार के सिवाए ऐसे राशन कार्ड का प्रयोग या निपटान या प्राप्त नहीं करेगा।

(3) इस आदेश के लागू होने की तिथि से पूर्व जारी किए गए राशन कार्ड, ऐसी तिथि तक वैध रहेंगे, जो राज्य सरकार विनिश्चित करें।

(4) राशन कार्ड पर राशन कार्ड धारक का नाम तथा पता, कुटुम्ब के सदस्यों के नाम, आयु तथा कुटुम्ब के मुखिया के साथ उनका सम्बन्ध तथा उसके अवस्थित स्थान के पते सहित उचित मूल्य की दुकान का नाम तथा संख्या, जहां से राशन कार्ड धारक वस्तुओं की खरीद करने के लिए हकदार है, तथा ऐसे अन्य ब्यौरे, जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएं, स्पष्ट रूप से अंकित करने होंगे।

(5) कोई भी व्यक्ति, कुटुम्ब, जिसके लिए राशन कार्ड जारी किया गया है, का सदस्य न होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति का राशन कार्ड प्राप्त नहीं करेगा, अपने पास नहीं रखेगा या उसका प्रयोग नहीं करेगा।

(6) इस आदेश ने अधीन प्रत्येक राशन कार्ड राज्य सरकार की सम्पति होगी किन्तु व्यक्ति, जिसको राशन कार्ड जारी किया गया है, उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेवार होगा।

(7) यदि कोई राशन कार्ड विरूपित, गुम या नष्ट हो जाता है, तो प्राधिकृत अधिकारी, ऐसी जांच, जो वह उचित समझे, करने के बाद, ऐसी फीस, जो विनिर्दिष्ट की जाए, का भुगतान करने पर उसके स्थान पर ऑनलाईन नया राशन कार्ड जारी करेगा।

(8) राशन कार्ड जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, किसी राशन कार्ड को वापिस लेने या रद्द करने के लिए सक्षम होगा, यदि यह पाया जाता है कि राशन कार्ड का धारक, राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं है तथा प्रत्येक ऐसे मामले में, राशन कार्ड का धारक, अनुमोदन या रद्दकरण, जैसी भी स्थिति हो, के लिए मांग करने पर राशन कार्ड को समर्पित करने के लिए बाध्य होगा।

(9) अन्त्योदय अन्न योजना/गरीबी रेखा से नीचे/अन्य प्राथमिक कुटुम्ब प्रवर्ग के राशन कार्ड, सर्वेक्षण के मूल पते से किसी अन्य पते पर अन्तरित नहीं किए जाएंगे।

21. (1) कोई भी व्यक्ति,– राशन कार्ड या वस्तुओं के दुरूपयोग के विरूद्व प्रतिषेध।

(i) राशन कार्ड के लिए बेईमानी से आवेदन नहीं करेगा या प्राप्त नहीं करेगा, यदि वह जानता है या उसके पास विश्वास करने का कारण है कि किसी अन्य कुटुम्ब को जारी किए गए किसी अन्य राशन कार्ड में उसका नाम पहले से ही शामिल है;

(ii) मिथ्या सूचना देते हुए राशन कार्ड प्राप्त नहीं करेगा;

(iii) उसे जारी किए गए राशन कार्ड में विधिपूर्वक प्राधिकार के बिना हेर–फेर नहीं करेगा या नष्ट नहीं करेगा ;

(iv) उसके कुटुम्ब के उपभोग से अन्यथा के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन दी गई वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेगा ;

(v) रिसाईकलिंग या गुणवत्ता परिवर्तन, आदान–प्रदान इत्यादि के लिए उचित मूल्य की दुकान के स्वामी या व्यवहारी या अन्य व्यक्ति की मिलिभगत से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन प्राप्त वस्तुओं की पुनः बिक्री का सहारा नहीं लेगा;

(vi) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति की गई या आपूर्ति किए जाने के लिए आशयित वस्तुएं राशन कार्ड धारक से या उचित मूल्य की दुकान के स्वामी या व्यवहारी या किसी बिचौलिए या अन्य स्रोत से खरीद नहीं करेगा। अन्यथा, ऐसी उचित मूल्य की दुकान का स्वामी या व्यवहारी या बिचौलिया या शामिल अन्य व्यक्ति, दाण्डिक कार्रवाई तथा ऐसी शास्ति, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत की जाए, के अधिरोपण के लिए दायी होगा।

(2) यदि कोई राशन कार्ड धारक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जारी की गई वस्तुओं का दुरूपयोग करता हुआ पाया जाता है, तो वह उसके राशन कार्ड के रद्दकरण के अतिरिक्त दाण्डिक कार्रवाई के लिए भी दायी होगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आपूर्ति किए गए तथा आपूर्ति किए जाने के लिए आशयित खाद्यान्न की खरीद, विक्रय, रिसाईकलिंग, विपथन या इस आदेश में निषिध कोई अन्य कार्य करने में शामिल पाया जाता है, तो वह दाण्डिक कार्रवाई या ऐसी शास्ति, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत की जाए, के अधिरोपण या दोनों के लिए दायी होगा ।

प्रवेश, तलाशी तथा जब्ती इत्यादि की शक्ति।

22. (1) अनुज्ञापन प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, जो उप–निरीक्षक खाद्य एवं आपूर्ति की पदवी से नीचे का न हो, ऐसी सहायता, यदि कोई हो, जो वह उचित समझे,–

(i) स्वामी, अधिभोगी या स्थान, परिसर, वाहन या पोत के प्रभारी किसी व्यक्ति, जिसके बारे में उसके पास विश्वास करने का कारण है कि उसने इस आदेश के उपबन्धों या उसके अधीन जारी किसी अनुज्ञप्ति की शर्तों का कोई उल्लंघन किया है, किया जा रहा है या लगभग किया जाने वाला है, से ऐसे उल्लंघन से सम्बन्धित संव्यवहार दर्शाने वाली कोई पुस्तक, लेखे या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है;

(ii) किसी स्थान, परिसर, वाहन या पोत, जिसमें उसके पास विश्वास का कारण है कि इस आदेश के उपबन्धों या इसके अधीन जारी की गई किसी अनुज्ञप्ति की शर्तो का कोई उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है या लगभग किया जाने वाला है, में प्रवेश कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है, को तोड़, खोल सकता है;

(iii) ऐसे उल्लंघन से सम्बन्धित संव्यवहार दर्शाने वाले किसी दस्तावेज, जो उसके सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, से उद्धरण या प्रतियां ले सकता है ;

(iv) किसी ऐसे परिसर में पाई गई सभी या किन्हीं वस्तुओं के वजन का परीक्षण कर सकता है या परीक्षित करवा सकता है;

(v) इस आदेश के उपबन्धों या इसके अधीन जारी की गई किसी अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन में वस्तुओं के स्टॉक तथा कथित वस्तुओं के वहन में प्रयुक्त पैकेट, कवरिंग, पशु, वाहन, पोत या अन्य वाहनों की तलाशी ले सकता है, जब्त कर सकता है तथा हटा सकता है तथा उसके बाद इस प्रकार जब्त की गई वस्तुओं तथा पैकेटों, कवरिंग, पशु, वाहन, पोत या किसी अन्य वाहन को न्यायालय में प्रस्तुत करने तथा ऐसी लम्बित प्रस्तुति के दौरान उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए आवश्यक सभी उपाय कर सकता है या करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है;

(2) तलाशी तथा जब्ती से सम्बन्धित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 100 के उपबन्ध, जहां तक सम्भव हों, इस खण्ड के अधीन तलाशी तथा जब्ती को लागू होंगे।

(3) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 20) के अधीन नियुक्त सामाजिक अंकेक्षण तथा सतर्कता समिति की टीम या सदस्य भी उचित मूल्य की दुकान तथा उसके रिकार्ड का निरीक्षण करने के लिए सशक्त है।

कार्ड रखने, मिथ्या प्रविष्टियां करने या स्टाक के विपंथन करने के लिए शास्तियां।

23. इस आदेश में दी गई किसी बात के होते हुए भी,–

(क) यदि कोई उचित मूल्य की दुकान का स्वामी राशन कार्ड को अपने कब्जे में रखता हुआ या धोखे से अनुसूचित वस्तुएं प्राप्त करता हुआ पाया जाता है, तो ऐसी उचित मूल्य की दुकान का स्वामी, इस आदेश के खण्ड 13 (4) में यथा वर्णित सभी वस्तुओं की राशि का भुगतान करने के लिए दायी होगा मानो सम्बन्धित उचित मूल्य की दुकान के स्वामी को प्राधिकार जारी करने की तिथि से ऐसे राशन कार्ड पर आपूर्ति की गई है या ऐसे राशन कार्ड को जारी करने की तिथि से प्राप्त की गई है, जो भी बाद में हो ;

(ख) यदि कोई उचित मूल्य की दुकान का स्वामी बाद में फर्जी प्रविष्टियां या ऐसे उचित मूल्य की दुकान के स्वामी के पास पहले ही उपलब्ध अधिक स्टॉक को पूरा करने के विचार से अनुसूचित वस्तुओं का वितरण, स्टॉक का विपथन करता है, तो वह सम्बन्धित उचित मूल्य की दुकान के स्वामी को अनुज्ञप्ति जारी करने की तिथि या ऐसा राशन कार्ड जारी करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से इस आदेश के खण्ड 13 (4) में यथा वर्णित सभी वस्तुओं की राशि का भुगतान करने के लिए दायी होगा ;

(ग) यदि कोई उचित मूल्य की दुकान का स्वामी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस स्टॉक को पूर्णतः या भागतः विपथन करता है, तो स्वामी इस आदेश के खण्ड 13 (4) में यथा वर्णित सभी वस्तुओं की राशि का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

उचित मूल्य की दुकान का स्वामी अनुज्ञप्ति के रद्दकरण या प्रतिभूति की जब्ती या दोनों के लिए भी दायी होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त वह आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) की धारा 7 के अधीन दण्ड के लिए भी दायी हो सकता है।

24. (1) उचित मूल्य की दुकान का स्वामी या राशन कार्ड धारक किसी भी व्यक्ति को अधिसूचित वस्तु आशयित लाभार्थी के पास पहुंचने तक किसी भी स्तर पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली या सरकार की किन्हीं अन्य स्कीमों के अधीन अधिसूचित वस्तुओं के निर्बाध वितरण की प्रक्रिया में कोई बाधा या हस्तक्षेप किए जाने के लिए अनुमत नहीं होगा। ऐसी प्रक्रिया में बाधा या हस्तक्षेप करने के ऐसे किसी प्रयास को दुष्प्रेरण के रूप में समझा जाएगा और इस आदेश की उल्लंघना समझी जाएगी, जिसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय 10) की धारा 8 के अधीन अपराध किया गया है। वितरण की प्रक्रिया में बाधा।

(2) किसी प्राधिकृत उचित मूल्य की दुकान का स्वामी या कोई अन्य व्यक्ति, जो वितरण की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है या इस आदेश के किन्हीं उपबन्धों या अनुज्ञप्ति के निबन्धनों तथा शर्तों या राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन को अवप्रेरित करता है, तो उसे निरीक्षण प्राधिकारी से रिपोर्ट की प्राप्ति पर सम्बन्धित स्टेशन हाऊस अधिकारी द्वारा अभियोजित किया जाएगा।

25. प्रत्येक प्राधिकृत उचित मूल्य की दुकान का स्वामी, जब इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस प्रकार अपेक्षित हो :— दस्तावेजों की सुपुर्दगी तथा कतिपय सूचना देने की बाध्यताएं।

(क) राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार या इस आदेश के प्रयोजन के लिए सभी राशन कार्ड तथा एकत्रित अन्य दस्तावेज प्रदान करेगा;

(ख) यथा अपेक्षित अनुसूचित वस्तुओं के बारे में उनके लेन–देन तथा स्टॉक से सम्बन्धित ऐसे ब्योरे प्रस्तुत करेगा।

26. ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा तथा शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा राज्य सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शनों के अनुसार उत्तदायित्वता तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामूहिक रूप से निगरानी तथा मूल्यांकन करेंगे। उपायुक्त या अनुज्ञापन प्राधिकारी, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट के सुझावों पर कार्रवाई करेगा। यदि, उचित मूल्य की दुकान के स्वामी द्वारा इस आदेश या अनुसूचित वस्तुओं का वितरण नहीं करने या अनुचित वितरण का कोई उल्लंघन सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट में पाया जाता है, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी, इस आदेश के उपबन्धों के अनुसार उचित मूल्य की दुकान के स्वामियों के विरूद्व कार्रवाई कर सकता है। सामाजिक अंकेक्षण।

27. कोई व्यक्ति, जिसके पास उसके नाम से कोई अनुज्ञप्ति नहीं है, प्रतिपुरूष या बेनामी उचित मूल्य की दुकान के रूप में या दूसरे व्यक्ति, समूह, सहकारी सोसाईटी या गैर सरकारी संगठन को प्रदान की गई अनुज्ञप्ति का प्रयोग करते हुए वस्तुतः स्वामी के रूप में दुकान का संचालन नहीं करेगा। बेनामी व्यवहारिता का निषेध।

28. राज्य सरकार या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, विशेष या साधारण आदेश से तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो आदेश में विनिदिष्ट की जाएं, इस आदेश के सभी या किन्हीं उपबन्धों के प्रचालन से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रवर्ग को छूट दे सकता है। छूट।

29. हरियाणा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अनुज्ञप्ति तथा नियंत्रण) आदेश, 2009, इसके द्वारा, निरसित किया जाता हैं : निरसन तथा व्यावृत्ति।

परन्तु ऐसा निरसन निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा,–

(क) इस खण्ड के अधीन निरसित किसी आदेश का पूर्व प्रचालन (जिसे, इसमें, इसके बाद "निरसित आदेश" या उसमें विधिवत की गई किसी बात या उससे आक्रान्त के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) ; या

(ख) निरसित आदेश के अधीन अर्जित, प्रोदभूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व; या

(ग) निरसित आदेश के अधीन किए गए किसी अपराध के सम्बन्ध में उपगत किसी शास्ति, जब्ती या दण्ड; या

(घ) पूर्वोक्त अनुसार ऐसे किसी अधिकार, विषेाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, जब्ती या दण्ड के सम्बन्ध में किसी अन्वेषण, विधिक कार्रवाई या उपाय; तथा ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्रवाइ या उपाय, संस्थित किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है या लागू किया जा सकता है तथा ऐसी कोई शास्ति, जब्ती या दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है मानो यह आदेश जारी ही नहीं किया गया था :

परन्तु यह और कि इस खण्ड में वर्णित किसी बात के होते हुए भी, अनुज्ञप्ति जारी करने या अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने के लिए सभी आवेदन, जो हरियाणा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अनुज्ञप्ति तथा नियंत्रण) आदेश, 2009 के उपबन्धों के अधीन दायर किए गए हैं, तथा जो इस आदेश के लागू होने की तिथि को अन्तिम रूप से नहीं निपटाए गए हैं, इस आदेश के उपबन्धों के अनुसार निपटाए जाएंगे।

प्ररूप क

{देखिए खण्ड 3 (2)}

{हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अनुज्ञप्ति तथा नियन्त्रण) आदेश, 2022}

अनुज्ञप्ति (उचित मूल्य की दुकान/व्यवहारी) प्रदान करने/नवीकरण/पुनः जारी करने/अनुज्ञप्ति (उचित मूल्य की दुकान/व्यवहारी) को प्रतिलिपि जारी करने के लिए आवेदन।

1. आवेदक का नाम :

(क) पिता/पति का नाम :

(ख) क्या वह एसिड अटैक पीड़िता/विधवा/अनुसूचित जाति पुरूष/पिछड़ी जाति पुरूष/शारीरिक रूप से विकलांग है:

2. आवेदक का व्यवसाय :

3. आवेदक का निवास स्थान :

4. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तु/वस्तुओं का नाम जिनका आवेदक व्यापार करना चाहता है:

5. (क) उस स्थान का ब्यौरा, जहां आवेदक, व्यवहारी/उचित मूल्य की दुकान के रूप में कार्य करना चाहता है:

(ख) कारोबार का स्थानः

प्लाट संख्या :	गली/पता––––––––––––––––––
खाता संख्या :	–––––––––––––––––––––––
मोजा	पिन कोड ––––––––––––––––––
	जिला ––––––––––––––––––––

सीमा का वर्णन :

पूर्व की ओर.––––––––

उत्तर की ओर.–––––––

पश्चिम की ओर.––––––––––

दक्षिण की ओर.––––––––––

(ग) परिसरों की किस्म :

(i) पक्की/कच्ची इमारत :

(ii) छत (कंकरीट, अदह चदद्र इत्यादि):

(iii) चारदीवारीः हां/नहीः

(घ) परिसरों का स्वामित्व :

अपना/किराए पर

यदि किराए पर है, तो स्वामी के साथ किए गए करार का ब्यौरा।

6. क्या आवेदक उचित मूल्य की दुकान/व्यवहारी के रूप में कार्य करना चाहता है ?

7. क्या आवेदक के पास पहले किसी व्यवसाय की अनुज्ञप्ति थी ?

(यदि हां, उसके निलम्बन या रद्दकरण, यदि कोई हो, सहित ब्यौरा दे):

8. पिछले तीन वर्ष के दौरान वार्षिक रूप से सम्भाली जाने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रत्येक वस्तु की मात्राः

9. चालू वर्ष के दौरान सम्भाली जाने वाली प्रत्येक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की मात्राः

10. आवेदन के पूर्ववर्ती दो वर्ष में भुगतान किया गया आयकर (अलग से सूचित किया जाना है):

(आयकर समाशोधन प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है)

11. (क) आवेदन की तिथि को आवेदक के कब्जे में प्रत्येक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की मात्रा :

(ख) स्थान का पूरा पता जहां आवश्यक वस्तुओं का भण्डार किया जाना प्रस्तावित है :

मैं, घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि उपरोक्त विनिर्दिष्ट प्रत्येक आवश्यक वस्तुओं की मात्रा इस दिन मेरे कब्जे में हैं तथा उपरोक्त निर्दिष्ट स्थान पर रखी गई हैं :

मैंने, हरियाणा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अनुज्ञप्ति तथा नियन्त्रण) आदेश, 2022 से संलग्न प्ररूप ख में दी गई अनुज्ञप्ति की शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है तथा मैं उसका पालन करने के लिए सहमत हूँ :

मैं, घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि आवेदन में मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए आकड़े/सूचना सत्य हैं तथा मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सही हैं।

(क) मैंने इस जिले में ऐसी अनुज्ञप्ति के लिए पहले कोई आवेदन नहीं दिया है।

(ख) मैंने ———————— के लिए —————————— को इस जिले में ऐसी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन दिया है तथा —————————— को मुझे अनुज्ञप्ति प्रदान की गई थी/नहीं की गई थी।

(ग) मैं, इसके द्वारा अनुज्ञप्ति संख्या ————दिनांक ————के नवीकरण के लिए आवेदन करता हूँ।

(घ) मैं इसके द्वारा अनुज्ञप्ति संख्या ————दिनांक ———की दूसरी प्रति जारी करने के लिए आवेदन करता हूँ।

(ङ.) मैं, इसके द्वारा, अनुज्ञप्ति संख्या ——दिनांक ————को पुनः जारी के लिए आवेदन करता हूँ।

स्थान :————————

दिनांक :———————— आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप ख

{देखिए खण्ड 5(6) तथा 8 (2)}

हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अनुज्ञप्ति तथा नियन्त्रण) आदेश 2022

उचित मूल्य की दुकान के स्वामी/व्यवहारी के रूप में प्रचालन के लिए अनुज्ञप्ति

---

1. हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अनुज्ञप्ति तथा नियन्त्रण) आदेश, 2022 के उपबन्धों के अध्यधीन तथा इस अनुज्ञप्ति के निबन्धनों तथा शर्तों के अनुसार मैसेर्ज .... को इसके द्वारा, नीचे वर्णित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के परचुनिया/थोक विक्रेता/उप–थोक विक्रेता के रूप प्रचालन करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है :–

   (i)

   (ii)

   (iii)

   (iv)

2. (क) अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित स्थानों पर पूर्वोक्त कारोबार अर्थात केवल आवश्यक वस्तुओं का भण्डार तथा विक्रय करेगा :–

   परिसर के ब्यौरे :––––––––––––––

   भवन :–––––––––––––––

   गली/पता :–––––––––––––––

   सीमाओं का वर्णन :––––––––––––––

   पूर्व :––––––––––––––––

   पश्चिम :–––––––––––––––

   उत्तर :–––––––––––––––

   दक्षिण :–––––––––––––––––

   भूमि का स्वामीः––––––––––––––––––

   (ख) वह प्राधिकृत व्यक्तियों/डिपो से आवश्यक वस्तुएं खरीद सकता है तथा उनका उपरोक्त मद (i) के अधीन विनिर्दिष्ट स्थानों पर विक्रय के लिए भण्डार कर सकता है।

   टिप्पण :– यदि अनुज्ञप्तिधारी अपनी आवश्यक वस्तुओं का भण्डार ऊपर विनिर्दिष्ट स्थानों से भिन्न किसी अन्य स्थान पर करना चाहता है, तो वह अनुज्ञप्ति प्राधिकारी से इसकी लिखित में पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा।

3. अनुज्ञप्ति निम्नलिखित निबन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन है :–

   (क) अनुज्ञप्तिधारी के पास दो मास के सम्पूर्ण आबंटन के लिए पर्याप्त भण्डारण स्थल होगा तथा वह यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय करेगा कि उसके द्वारा भण्डारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का रख–रखाव उचित प्रकार से किया गया है तथा खाद्यानों तथा चीनी के मामले में भूमि की सीलन, वर्षा, कीड़े, कृन्तक, पक्षियों, अग्नि इत्यादि के कारण हानि तथा ऐसे अन्य कारणों से बचाया जाता है। भूमि की सीलन से होने वाली हानि से बचने के लिए उपयुक्त निभार का प्रयोग किया जाएगा तथा खाद्यानों को, इस प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्ति, जिसने इस संबंध में व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, द्वारा अनुमोदित रसायन से धुम्रीकृत किया जाएगा। अनुप्तिधारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि सामग्री जिससे खाद्यानों तथा चीनी को संदूषित करने की सम्भावना है का भण्डारण उन्हीं के समरूप जैसे दूषित खाद्यान्नों तथा चीनी का भण्डारण उन्हीं के समरूप गोदामों में या खाद्यानों तथा चीनी के ठीक सान्निधय में उसी गोदाम में नहीं करेगा।

   (ख) दुकान के बाहर प्रवेश द्वार के समीप कारोबार, स्टॉक, मूल्य तथा हकदारी की घोषणा का प्रदर्शन किया जाना है।

   (ग) उचित मूल्य की दुकान का स्वामी/व्यवहारी, दुकान का संचालन स्वयं करेगा। लेखें प्रतिदिन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वयं प्रमाणित किए जाने चाहिए।

   (घ) यदि किसी विशेष दिन (दिनों) के लिए कारोबार के स्थान को बन्द किया जाना है, तो उसे अनुज्ञापन प्राधिकारी से लिखित में पूर्व में अनुमति प्राप्त की जानी है।

   (ड) उचित मूल्य की दुकान का स्वामी/व्यवहारी को प्रमाणित तोल तथा माप रखने होंगे तथा कारोबार के लिए अपेक्षित अग्नि सुरक्षा समाशोधन तथा अन्य वैधानिक समाशोधन प्राप्त करने होंगे।

   (च) अनुज्ञप्तिधारी, ऐसी मात्रा में आरक्षित भण्डार रखेगा जैसा अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाए।

(छ) अनुज्ञप्तिधारी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के ऑनलाइन वितरण तथा उचित माप तोल के लिए सरकार द्वारा निदेशित अनुसार पी.ओ.एस. यंत्र, विद्युत माप तोल उपकरण या कोई अन्य यंत्र स्थापित करेगा।

(ज) "सेवा का अधिकार" बोर्ड को कारोबार परिसर में प्रमुख रूप से प्रदर्शित करेगा।

(झ) अनुज्ञप्तिधारी, खण्ड 10, 11 में तथा आदेश के अन्य उपबन्धों के अधीन बताए गए अपने दायित्वों का अति सावधान रूप से अनुपालन करेगा।

4. अनुज्ञप्तिधारी, हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अनुज्ञप्ति तथा नियन्त्रण) आदेश, 2022 के खण्ड 12 में यथा विनिर्दिष्ट अपने लेखों को प्रतिदिन पूर्ण करेगा जो उसके पास होगें। रजिस्टर में कोई लिप्तलेखन नहीं किया जाएगा, यदि सुधार जरूरी है, तो पुरानी प्रविष्टि काट दी जाएगी तथा नई प्रविष्टि दर्ज की जाए और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आद्यक्षरित की जाएगी।

5. अनुज्ञप्तिधारी, हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अनुज्ञप्ति तथा नियंत्रण), आदेश 2022 के खण्ड 15 में यथा विनिर्दिष्ट रिपोर्ट तथा विवरणियां प्रस्तुत करेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर वह अपने कारोबार से संबंधित ऐसी सूचना सही रूप में प्रस्तुत करेगा।

6. अनुज्ञप्तिधारी, हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अनुज्ञप्ति तथा नियन्त्रण) आदेश, 2022 या आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) या तत्समय लागू उक्त आवश्यक वस्तुओं से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन जारी आवश्यक वस्तुओं से सम्बन्धित किसी अन्य आदेश के उपबन्धों की उल्लंघना नहीं करेगा।

7. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञापन प्राधिकारी या उस द्वारा या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को आवश्यक वस्तुओं के भण्डारण, विक्रय या खरीद तथा जांच के लिए ऐसी वस्तुओं के नमुने लेने के लिए उसके द्वारा प्रयुक्त किसी दुकान, गोदाम या अन्य स्थान पर उसके स्टॉक लेखों के निरीक्षण के लिए युक्तियुक्त समय पर सभी सुविधाएं देगा।

8. अनुज्ञप्तिधारी अपने कारोबार परिसरों के प्रवेश द्वार या किसी अन्य प्रमुख स्थान पर, उसके द्वारा विक्रय के लिए रखी गई आवश्यक वस्तओं की मूल्य सूची तथा स्टॉक की स्थिति प्रदर्शित करेगा। ऐसी सूची संबंधित परिक्षेत्र की मुख्य भाषा में स्पष्ट रूप से लिखी जाएगी। बोर्ड को ऐसी रीति में दीवार पर चित्रित किया जाएगा या उस पर सुरक्षित रूप में चिपकाया जाएगा कि वह दीवार पर टूटने/नष्ट हुए बिना हटाया नहीं जा सकेगा। बोर्ड का न्यूनतम निम्न परिमाप अनुसार होगा :

व्यवहारी	:	4 फुट X 6 फुट
उचित मूल्य की दुकान :		3 फुट X 4 फुट

9. (क) अनुज्ञप्तिधारी उचित मूल्य की दुकान का स्वामी/व्यवहारी, जब इस निमित्त विशेष रूप से प्राप्त छूट के सिवाए, प्रत्येक व्यक्ति को, जिससे आवश्यक वस्तुएं खरीदी/विक्रय की गई हैं, सही रसीद/ऑनलाइन स्लीप बीजक या मीमो, जैसी भी स्थिति हो, उसमें उसका अपना नाम, पता तथा अनुज्ञप्ति संख्या देते हुए जारी करेगा तथा उस व्यक्ति का नाम, पता, जिसको उसके हस्ताक्षर सहित खरीद/विक्रय की गई है, संव्यवहार की तिथि सहित, आवश्यक वस्तुओं का नाम, खरीद/विक्रय की गई मात्रा, प्रति क्विंटल/किलो लीटर/किलो ग्राम/लीटर, जैसी भी स्थिति हो, की दर, प्रत्येक वस्तु के लिए भुगतान/प्राप्त किया गया कुल मूल्य, भुगतान/प्राप्त की गई राशि के कुल जोड़ सहित, जारी किया जाएगा तथा अनुज्ञापन प्राधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा मांग करने पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराने हेतु उसके रिकार्ड में उसकी प्रतिलिपि रखेगा। कैश मीमो क्रमानुसार संख्यांकित होगी तथा क्रमिक अनुसार जारी की जाएगी।

(ख) अनुज्ञप्तिधारी, सरकार/अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर यथा निर्देशित इलैक्ट्रोनिक/मैन्युअल रूप में वितरण की प्रक्रिया का पालन करेगा।

10. अनुज्ञप्तिधारी, किसी निर्देश का भी पालन करेगा जो आवश्यक वस्तुओं की खरीद, बिक्री तथा भण्डारण के सम्बन्ध में राज्य सरकार या अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा उसको दिए जाएं।

11. नवीकरण के लिए किसी आवेदन के साथ मूल अनुज्ञप्ति संलग्न की जाएगी।

12. अनुज्ञप्ति 31 मार्च, —————————— तक वैध होगी।

अनुज्ञापन अधिकारी,

स्थान :——————

दिनांक :—————

अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर

प्ररूप ग

{देखिए खण्ड 15}

{हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अनुज्ञप्ति तथा नियन्त्रण) आदेश 2022}

1. मास समाप्ति के लिए विवरणी :
2. नाम :
3. पता :
4. अनुज्ञप्ति की संख्या :
5. वाहन की पंजीकरण संख्या तथा वर्णन किया जिस द्वारा स्टॉक प्राप्त किया गया :
6. गोदाम के ब्यौरे, जहां पर स्टॉक भण्डार किया गया :
7. मास के प्रारम्भ में स्टॉक (प्रत्येक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के आंकडे अलग से सूचित किए जाएंगे) :
8. मास के दौरान खरीद की गई वस्तुओं की मात्रा (प्रत्येक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के आंकडे अलग से सूचित किए जाएंगे):
9. मास के दौरान बिक्री की गई वस्तुओं की मात्रा (प्रत्येक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के आंकडे अलग से सूचित किए जाएंगे):
10. मास के अन्त में वस्तुओं का स्टॉक (प्रत्येक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के आंकडे अलग से सूचित किए जाएंगे):

स्थान ———————————

दिनांक —————————— अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर

अंकुर गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ।

चण्डीगढः
दिनांक 1 अगस्त, 2022.